1/5

presented ... M. Vijay Singh ... 00D00k

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दामोदर सिंह आर.ए.एस.

मूल दावा संख्या – 95/2020

... पत्नि बृजेन्द्रसिंह आयु 50 वर्ष जाति अहीर निवासी विसदा तह. व जिला भरतपुर(राज.)

———वादिया

बनाम

1. रामकुमार पुत्र हरप्रसाद
2. उर्मिला पुत्री हरप्रसाद
3. कमलेश पुत्री हरप्रसाद
4. गीता पुत्री हरप्रसाद
5. सुन्दरदेई पुत्री हरप्रसाद
6. मायावती पुत्री हरप्रसाद
7. मीना पुत्री हरप्रसाद
8. सन्तो देवी पुत्री हरप्रसाद

जाति हैंवासी ब्राह्मण निवासी विसदा तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

———प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– 1. श्री विजयसिंह कुन्तल अभिभाषक वादी
2. श्री गोहनसिंह राना अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक –12.03.2021

1. वादी द्वारा दिनांक 08.09.2020 को यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 249/0.13, 263/0.34, 264/0.55, 265/0.33, 268/0.09, 269/0.06, 270/0.16, 271/0.33, 272/0.28, 278/0.08 कुल किता 10 रकबा 2.35 हैक्टैयर जो कि ग्राम विसदा तहसील भरतपुर में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 बहिस्सा बराबर 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे। प्रतिवादीगण ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी को अपने संपूर्ण 1/8 भाग को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 11.06.2020 को पूर्ण प्रतिफल लेकर वादिया के लिये विक्रय कर दिया तथा कब्जा व दखल भी उसी समय वादिया के लिये दे दिया चूंकि उक्त विवादित नम्बरान में कुछ हिस्सेदार प्रतिवादीगण विक्रेताओं से

presented ... M. Vijay 1/5

आधार पर प्रतिवादी संख्या 9 ने नामान्तकरण करने से इनकार कर दिया जबकि वादिया द्वारा आराजी मुतनाजा में दर्ज खातेदारान से उनका हिस्सा क्रय किया है। एक खातेदार को अपना हिस्सा विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता है। इसलिये वादिया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के स्थान पर बयनामा दिनांक 11.06.2020 के आधार पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने की अधिकारिणी है। वादिया बयनामा दिनांक 11.06.2020 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 9 से नामान्तकरण करने की बाबत दिनांक 07.09.2020 कहा। प्रतिवादी संख्या 9 ने कहा कि उक्त विवादित खसरा नम्बर में कुछ हिस्सेदार गैर खातेदार हैं तथा कुछ खातेदार हैं। चूंकि एक ही नम्बरों में काश्तकारों के अलग–अलग प्रकार है। इसलिये नामान्तकरण न्यायालय के आदेश से ही खोला जा सकता है, हम इस प्रकार कोई भी नामान्तकरण नहीं खोल सकते प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है। इसलिये उन्हें जरिये डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह आराजी मुतनाजा में दर्ज खातेदारान के द्वारा किये गये विक्रय के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करें और भविष्य में किसी प्रकार से आराजी मुतनाजा में वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। वादिया द्वारा आराजी मुतनाजा में दर्ज खातेदार काश्तकारान से उनका हिस्सा जरिये पंजीकृत बयनामा क्रय किया है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ने खातेदारों का उक्त नम्बरान में अलग–अलग स्टेटस होने के कारण नामान्तरकरण बयनामा के आधार पर दर्ज करने में असमर्थतता जताई है इसलिये दफा 80 का नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं है अगर दफा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाता है तो प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेख में हो रहे गलत इन्द्राजों के आधार पर आराजी को आगे बय मुन्तकिल कर देगें। दावा आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना नोटिस दिये पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि वादिया आराजी मुतनाजा वर्णित मद संख्या 1 दावा में 1/8 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है तथा जो इन्द्राजात राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के नाम हो रहे हैं वह गलत है इन इन्द्राजों को कमलजन किया जाकर वादिया का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे एवं जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह आराजी मुतनाजा में दर्ज खातेदारान के द्वारा किये गये विक्रय के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करें और भविष्य में किसी भी प्रकार से आराजी मुतनाजा वे वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें।

2. दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दिनांक 16.09.20 को इकबाल दावा पेश कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण ने आराजी का बयनामा वादिया प्रेमवती को करा दिया है। इन्द्राज हमारे नाम चले आ रहे है तथा हमारे नाम गलत तरीके से राजस्व अभिलेख बोला जा रहा है। इसलिये दावा वादनी डिक्री किया जाता है तो हम

वादिया ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी सं. 2072–75 प्रदर्श–1, बयनामा की फोटोप्रति प्रदर्श–2, पेश की। मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान PW-1 पेश कर अपनी साक्ष्य बन्द की।

वादिया के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादिया के अभिभाषक ने अपनी बहस में अपने दावा के कथनों को दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। नकल जमाबन्दी हाल सम्वत् 2072–75 के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 8 प्रदर्श–1 1/8 हिस्सा के खातेदार अभिलिखित है। बयनामा दिनांक 11.06.20 प्रदर्श–2 के मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 का विक्रय वादिया प्रेमवती को कर दिया गया है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रदर्श–1 के मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 सभी खातेदार दर्ज अभिलेख हैं, जिनको अपनी आराजी को विक्रय करने का अधिकार था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दावा वादिया प्रमाणित है एवं दावा वादिया स्वीकार योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादिया स्वीकार किया जाता है। बयनामा दिनांक 11.06.2020 के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 249/0.13, 263/0.34, 264/0.55, 265/0.33, 268/0.09, 269/0.06, 270/0.16, 271/0.33, 272/0.28, 278/0.08 कुल किता 10 रकबा 2.35 हैक्टैयर जो कि ग्राम विसदा तहसील भरतपुर में स्थित है, पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का नाम कलमजन कर वादिया का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर